रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222641
CG-DL-E-22102020-222641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/ आश्विन 30, 1942
No. 539] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ ASVINA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 661(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 515(अ), तारीख 18 अगस्त, 2020 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 19 अगस्त, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम, राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, प्रपत्र 20 में, क्रम सं. 4 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"4 क. स्वामित्व प्रकार ....

1. स्वायत्त निकाय

2. केन्द्रीय सरकार

3. धर्मार्थ न्यास

4. ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल

5. दिव्यांगजन

(क) जीएसटी रियायत प्राप्त करना

(ख) जीएसटी रियायत प्राप्त किए बगैर

6. शैक्षणिक संस्थान

7. फर्म

8. सरकारी उपक्रम

9. व्यष्टि

10. स्थानीय प्राधिकरण

11. बहु स्वामी

12. अन्य

13. पुलिस विभाग

14. राज्य सरकार

15. राज्य परिवहन निगम/विभाग ।" ।

[फा. सं. आरटी-11036/57/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख़ 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 628 (अ), तारीख़ 12.10.2020 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2020

G.S.R. 661 (E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 515 (E), dated the 18th August, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 19th August, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) Short title and commencement. — These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in Form 20, after serial number 4, the following shall be inserted, namely: —

"4A. Ownership type ………………………………..

1. AUTONOMOUS BODY
2. CENTRAL GOVERNMENT
3. CHARITABLE TRUST
4. DRIVING TRAINING SCHOOL
5. DIVYANGJAN

(a) AVAILING GST CONCESSION

(b) WITHOUT AVAILING GST CONCESSION

6. EDUCATIONAL INSTITUTE
7. FIRM
8. GOVERNMENT UNDERTAKING
9. INDIVIDUAL
10. LOCAL AUTHORITY
11. MULTIPLE OWNER
12. OTHERS
13. POLICE DEPARTMENT
14. STATE GOVERNMENT
15. STATE TRANSPORT CORPORATION OR DEPARTMENT.".

[F. No. RT-11036/57/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R 628 (E), dated 12.10.2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM